

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:- ई-33/लै.टै./ (एफ-30995)/2025/06

दिनांक : 08/01/2025

आदेश

वित्त विभाग के मेमोरडम क्रमांक एफ.1(2) वित्त/नियम/2006-प्रथम दिनांक 8.8.2019, 25.10.2019 एवं 06.01.2020 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये निम्नांकित कार्मिक (परिविक्षाधीन) को उनकी प्रार्थना पर स्वयं की अस्वस्थता के कारण रोग/आरोग्य प्रमाण-पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार अवधि का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	पदस्थापन स्थान	असाधारण अवकाश अवधि
1	श्री अभिनव मीणा, लैब टैक्नीशियन	सीएचसी, केशवराय पाटन, बूंदी।	दिनांक 20.05.2022 से 20.06.2022 तक 32 दिवस

परिणामस्वरूप कार्मिक की दिनांक 20.05.2022 से 20.06.2022 तक की असाधारण अवकाश अवधि को उनकी परिविक्षा काल अवधि में अभिवृद्धि मानी जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

क्रमांक:- ई-33/लै.टै./ (एफ-30995)/2025/06

दिनांक : 08/01/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बूंदी।
- प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
- श्री अभिनव मीणा, लैब टैक्नीशियन (परिविक्षाधीन) कार्मिक को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
- आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राज. जयपुर
Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma
Designation : Director
Date: 2025.01.03 15:20:46 IST
Reason: Approved

